...न संस्थाएँ रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन-प्रपत्र

द्वारा ... विद्या मन्दिर समिति ...
... जि० सीकर (राज०)

the last word
in
printing performance
in
rajasthan

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE PRESS LTD.
पार्क स्कीम रोड, जयपुर
PARK SCHEME ROAD, JAIPUR- 302001 Ph. 74969

Price Rs. 5.00 + Tax

Scanned by CamScanner

...न रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
...था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

...धान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्ग दर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जाती है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन रा[illegible] पूर्ण प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्थाएं, सैनिक, अना[illegible] या ललित कलाओं के उन्नयन के लिये स्थापि[illegible] उपयोग या जनता के पुस्तकालय या वाचनाल[illegible] लिये या सार्वजनिक अजायबघरों तथा चित्रकारों ए[illegible] की स्थापना या निर्वहण के लिये स्थापित संस्थायें, प्राकृ[illegible] [illegible] यान्त्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, उपकरणों या डिजाइनों के लिये स्था[illegible] संस्थायें।

[illegible]
[illegible] / [illegible]न्दर
[illegible] [illegible]लय
[illegible] (सीकर)

[illegible] मंत्री [illegible]

रजिस्ट्रार संस्थाएं
सीकर

[illegible] सेवद बड़ी .... समिति/सोसायटी/संस्था [illegible] विधान-पत्र

1. संस्था का नाम .... सुभाष शिक्षा निकेतन समिति सेवद बड़ी ....

2. समिति/संस्था/सोसायटी .... [illegible] .... में रजिस्टर्ड है।

संस्था का पंजीकृत कार्यालय .... सेवद बड़ी ग्राम पंचायत सेवद बड़ी .... है। तथा इसका कार्यक्षेत्र .... जि० सीकर .... क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1. राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नियमानुसार बिना किसी जाति धर्म एवं भेदभाव के बालकों में शिक्षा का प्रसार करना है।
2. मोन्टेसरी पद्धति के आधार पर बुनियादी शिक्षा को लागू करना है।
3. मनोवैज्ञानिक आधार पर बालकों के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास करना है।
4. बालकों में स्वावलम्बन एवं अनुशासन को जाग्रत करना है।
5. छात्र छात्राओं को जनरल उपयोगी बहुउद्देशीय शिक्षा देना एवं नैतिक कर्त्तव्य शिक्षा का प्रसार करना।

मंत्री [illegible] अध्यक्ष

विभिन्न ... करना।

... के उद्देश्यों की सम्पूर्तियों के द्वारा ... करना।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
सीकर (राज.)

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

मंत्री

...नुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया जो निम्नलिखित है :—

नाम	व्यवसाय	उम्र	पूर्ण पता	पद
[illegible]	[illegible]	48	मु. सेवद बड़ी सीकर	अध्यक्ष
श्री [illegible]	व्यापार	40	मु. सेवद बड़ी सीकर	उपाध्यक्ष
3. श्री रामदेव सिंह गढ़वाल S/o श्री भींवा राम गढ़वाल	कृषि	35	मु. सेवद बड़ी सीकर	मंत्री
4. श्री चन्द्र सिंह [illegible] S/o श्री रतन सिंह	कृषि	30	मु. सेवद बड़ी सीकर	कोषाध्यक्ष
5. श्री राजेन्द्र लाल S/o श्री गंगाबक्स	कृषि	30	मु. सेवद बड़ी सीकर	सदस्य
6. श्री भूराराम गढ़वाल S/o [illegible]	कृषि	45	मु. सेवद बड़ी सीकर	सदस्य
7. श्री नरपत सिंह S/o मेघ सिंह	व्यापार	35	मु. सेवद बड़ी सीकर	सदस्य
8. धन्नाराम [illegible] S/o मूलाराम	व्यापार	45	ढ़ी. [illegible] सीकर	सदस्य
9. जगदीश प्रसाद S/o श्री [illegible]	नौकरी	30	मु. सेवद बड़ी सीकर	सदस्य
10. [illegible]	[illegible]	30	"	सदस्य
11. [illegible]	[illegible]	32	"	सदस्य

5

कोषाध्यक्ष

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय, ... संघ ज्ञापन पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के ... करवाने के इच्छुक हैं :—

	क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	उम्र	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
संरक्षक	1	श्री रामसुख सिंह S/o श्री मोहन ...	व्यापार	4[illegible]	[illegible]	[illegible]
संरक्षक	2	श्री छुडाराम S/o श्री सालगराम माली	व्यापार	40	... लोहरू	[illegible]
संरक्षक	3	श्री रामदेव सिंह S/o श्री ... गहलोत	कृषि	35	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
संरक्षक	4	श्री ... सिंह ... S/o श्री रतन सिंह	कृषि	30	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
विशिष्ट	5	श्री रामेश्वर लाल S/o श्री ...	कृषि	30	मु. खेजड़ली लोहरू	रामेश्वरलाल
विशिष्ट	6	श्री सूरजराम S/o श्री ...	कृषि	45	मु. खेजड़ली लोहरू	सूरजराम
विशिष्ट	7	श्री ... सिंह S/o श्री मेघ सिंह	व्यापार	35	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
सम्माननीय	8	श्री धन्नाराम ... S/o श्री ...राम	व्यापार	45	मु. ... लोहरू	धन्नाराम
संरक्षक	9	श्री जगदीश प्रसाद ... S/o श्री ...	नौकरी	30	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
	10	श्री ... शर्मा S/o श्री ...राम शर्मा	नौकरी	45	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]

	क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	उम्र	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
		[illegible]	कृषि	40	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
		[illegible]	व्यापार	32	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
साधारण		[illegible] जोशी	व्यापार	45	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
विशिष्ट	14	श्री रघुनाथ शर्मा S/o श्री जगन्नाथ शर्मा	व्यापार	40	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
साधारण	15	श्री मेघाराम ... S/o श्री ...राम	कृषि	50	मु. खेजड़ली लोहरू	मेघाराम
साधारण	16	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा S/o श्री ... शर्मा	नौकरी	45	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
साधारण	17	श्री ...राम गहलोत S/o श्री हरजीराम	व्यापार	40	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
आजीवन	18	श्री ...राम प्रजापत S/o श्री ...राम प्रजापत	कृषि	50	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
साधारण	19	श्री गोपाल सिंह S/o श्री ओमकार सिंह ...	नौकरी	50	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]
विशिष्ट	20	श्री रणवीर सिंह S/o श्री रसोजी राम गहलोत	नौकरी	35	मु. खेजड़ली लोहरू	[illegible]

6

अध्यक्ष मंत्री

7

मंत्री कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

रजिस्ट्रार संस्थाएं

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
श्री कल्याण कॉलेज, सीकर

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

प्रधानाध्यापक
सुभाष बिहारी मन्दिर
उच्च माध्यमिक विद्यालय
(सीकर)

व्याख्याता
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कल्याण कॉलेज, सीकर

(हस्ताक्षर पढ़ने वाले के)

(हस्ताक्षर सुनने वाले)
(नकल ...)
(नकल ...)
(नकल ...)

रजिस्ट्रार संस्थाएं

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

विधान (नियमावली)

इस संस्था का नाम ... समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम पंचायत ... है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला सीकर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1— राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नियमानुसार बिना किसी

2— जाति धर्म एवं भेदभाव के बालकों में शिक्षा का प्रचार करना मान्टेसरी पद्धति के आधार पर बुनियादी शिक्षा को

3— लागू करना है।

4— मनोवैज्ञानिक आधार पर बालकों के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास करना है।

5— बालकों में स्वावलम्बन एवं अनुशासन को जागृत करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

... को जनरल ... एवं नैतिक कर्तव्य ... भिन्न प्रयोगों के लिए समुचित ... करना।

8— उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विविध प्रवृत्तियां

9— द्वारा संस्थाओं का संचालन करना।

10— रजिस्ट्रार संस्थायें सीकर (राज०)

11—

12— प्रधानाध्यापक

13—

अध्यक्ष मन्त्री ... कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने व...

1-संस्था के कार्य क्षेत्र...

2-बालिक हों।

3-पागल, दीवालिये न हों।

4-संस्था के उद्देश्यों में रुचि...

5-संस्था के हित को सर्वोपरि...

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक ✓

2-विशिष्ट ✓

3-सम्माननीय ✓

4-साधारण ✓

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक - राशि 200/- वार्षिक/आजीवन

2-विशिष्ट राशि 150/- वार्षिक/आजीवन

3-सम्माननीय राशि 100/- वार्षिक

4-साधारण राशि 50/- वार्षिक

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

...एक मुश्त अथवा रु०... की दर से जमा कराई जा सकेगी।

... के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा...

... :—

...मृत्यु होने पर

...त्याग पत्र देने पर

3—संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4—प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु पेश समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :

1—प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2—वार्षिक बजट-पारित करना।

3—प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

अध्यक्ष

...संशोधन, परिवर्तन ...
...पुष्टी/परिष्कार के ...
...प्रमाणित प्रतिलिपि ...

...साधारण सभा की वर्ष में ... आवश्यकता पड़ने पर विशेष ... भी बुलाई जा सकेगी।

2—साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3—बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4—कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5—संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

14

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

...प्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी ... गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी ... ...र होंगे—

...क्ष—एक 2-उपाध्यक्ष—एक

...त्री—एक 3-कोषाध्यक्ष—एक

...दस्य—सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में......चार (4)......पदाधिकारी व ......7 (सात)......सदस्य कुल......11 (ग्यारह)......सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1–संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2–चुनाव ~~प्रत्यक्ष~~/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3–चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे—

1–सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2–वार्षिक बजट तैयार करना।

15

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

3-संस्था की सम्पत्ति की ...

4-...निक कर्मचारियों की ... ...त्तों का निर्धारण करना, ...

5-साधारण सभा द्वारा पारि... करना।

6-कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां ...

7-अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1-कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2-बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3-बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4-कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

...कि प्रबन्धकारिणी के कम से ... पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही को आगामी आम सभा में ... करना अनिवार्य होगा।

...संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—

1—अध्यक्ष

1—बैठकों की अध्यक्षता करना।

2—मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3—बैठकें आहूत करना।

4—संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5—संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2—उपाध्यक्ष :

1—अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2—प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3—मन्त्री :

1—बैठकें आहूत करना।

2—कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

3–आय-व्यय पर नियन्...

4–वैतनिक कर्मचारियों पर ... व यात्रा बिल आदि पास ...

5–संस्था का प्रतिनिधित्व क... संस्था की ओर से हस्ताक्षर...

6–पत्र व्यवहार करना।

7–सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक ... आवश्यक हों।

4–उपमन्त्री :

1–मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2–अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5–कोषाध्यक्ष :

1–वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।

2–दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3–चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4–अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1–चन्दा

...दान

...यता

...राजकीय अनुदान

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

2–अध्यक्ष / मन्त्री / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था को राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे—

1–अध्यक्ष....500/-....रु०

2–मन्त्री....200/-....रु०

3–कोषाध्यक्ष....100/-....रु०

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्थान के विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मन्त्री

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन ... चल व अचल सम्पत्ति ... हस्तान्तरित करदी जावेगी ... राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण ... 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं ... रेकार्ड का निरीक्षण करने का पू... द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ... समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है

(प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्य ...)
(हस्ताक्षर पढ़ने वाले के ...)
(हस्ताक्षर सुनने वाले के ...)
(नकल हेतु प्रार्थना पत्र देने की दि. 21-9-91)
(नकल तैयार होने की दि. 4-10-91)
(नकल देने की दि. 4-10-91)

रजिस्ट्रार संस्थाएं

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाएं, सीकर

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

नाम संस्थाः सुभाष विद्या मन्दिर समिति, सेवद बड़ी

विधान नियमावली

क्रम संख्या	विधान की धारा संख्या	पंजीयन विधान का नियम	संशोधित नया नियम
1	3	1. राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नियमानुसार बिना जाति, धर्म एवं भेदभाव के बालकों में शिक्षा का प्रसार करना है। 2. मोन्टेनसरी पद्धति के आधार पर बुनियादी शिक्षा को लागू करना। 3. मनोवैज्ञानिक आधार पर बालकों के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास करना है। 4. बालकों में स्वालम्बन एवं अनुशासन को जाग्रत करना है। 5. छात्र छात्राओं को जनरल उपयोगी बहुउद्देशिय शिक्षा देना एवं नैतिक कर्तव्य शिक्षा का प्रसार करना। 6. शिक्षा के विभिन्न प्रयोजनार्थ बहुउद्देशिय व्यवस्था करना। 7. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विधि प्रवृत्तियों के द्वारा संस्थाओं का संचालन करना।	1. राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नियमानुसार बिना जाति, धर्म एवं भेदभाव के बालकों में शिक्षा का प्रसार करना है। 2. मोन्टेनसरी पद्धति के आधार पर बुनियादी शिक्षा को लागू करना। 3. मनोवैज्ञानिक आधार पर बालकों के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास करना है। 4. बालकों में स्वालम्बन एवं अनुशासन को जाग्रत करना है। 5. छात्र छात्राओ को जनरल उपयोगी बहुउद्देशिय शिक्षा देना एवं नैतिक कर्तव्य शिक्षा का प्रसार करना। 6. शिक्षा के विभिन्न प्रयोजनार्थ बहुउद्देशिय व्यवस्था करना। 7. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विधि प्रवृत्तियों के द्वारा संस्थाओं का संचालन करना। 8. शैक्षिक व सामाजिक उन्नयन के लिए शोध केन्द्रो, शिक्षण संस्थानों, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना करना। 9. शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र के विषयों पर सेमिनार, संगोष्ठियां, व्याख्यान, परिचर्चायें आदि का आयोजन करना। 10. अध्ययनरत छात्रों के पूर्ण विकास में मदद करने, उनकी मौलिक प्रतिभा को सृजनात्मक-स्वरूप प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। 11. बालक-बालिकाओं, महिलाओं व प्रौढो के शैक्षणिक व शारीरिक विकास के लिए बहुउद्देशीय शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना। 12. बाल-बालिकाओं के बौद्धिक विकास हेतु बाल-बाड़ी, आगनवाड़ी शिविर केन्द्र आदि का संचालन करना। 13. सामाजिक उत्थान के लिए पुस्तकालय, वाचनालय तथा मनोरंजन केन्द्र स्थापित करना। 14. शैक्षणिक व सामाजिक विकास हेतु पत्रिका, अखबार, पुस्तकों आदि का प्रकाशन, कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियों, गद्य-पद्य समीक्षा साहित्य परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना। 15. अनाथ, निराश्रित, अपंग, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग एवं विकलांगो के लिए विशेष सेवा-प्रकल्प हाथ में लेना। मंदबुद्धि, मूकबधिर एवं नेत्रहीनों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास संचालित करना। 16. प्रमुख शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं के लिए सर्वेक्षण कराना व उनके निदान के लिए आवश्यक सुझावों का प्रतिपादन करना। 17. गरीब व निराश्रित लोगों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा व सहायता उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल, नर्सिंग होम, मात शिशु कल्याण केन्द्र, क्लिनिक, मोबाइल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना एवं इस तरह के प्रकल्पों को वित्तीय सहायता व संसाधन उपलब्ध करवाना। 18. स्वास्थ्य शिक्षा, शिशु बाल स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य एड्स, एच.आई.वी., लेप्रोसी, परिवार नियोजन स्वास्थ्य जागरूकता, सामान्य स्वास्थ्य व्यावसायिक और पर्यावरण स्वास्थ्य, समुदाय स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग आदि क्षेत्रों में कार्य करना एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना।

Jobwide

Scanned by CamScanner

नाम संस्था: सुभाष विद्या मन्दिर समिति, सेवद बड़ी

विधान नियमावली

क्रम संख्या	विधान की धारा संख्या	पंजीयन विधान का नियम	संशोधित नया नियम
			19. प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा, आकल, अग्निकांड, दुर्घटनायें एवं जान-माल का नुकसान करने वाली किसी भी घटनाओं के पीड़ितों को सहायता एवं सेवा उपलब्ध करवाना तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 20. पर्यावरण-पारिस्थितिकी, सामाजिक वानिकी, संयुक्त वन प्रबंध, पर्यावरण-प्रदुषण रोकथाम पशु-संरक्षण एवं जानवरों पर अत्याचार रोकना तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 21. ग्रामीण विकास एवं कृषि के क्षेत्र में बंजर भूमि विकास एवं प्रबंधन, लघुऋण उपलब्ध करवाना, भूमि अधिकार, भूमि सुधार आर्थिक सशक्तीकरण, स्वरोजगार कम लागत पर ग्रामीण आवास कृषि-मार्केटिंग सिंचाई आदि के बारे में प्रशिक्षण का कार्य करना एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 22. विभिन्न क्षेत्रों में कन्सलटेन्सी, शोध, प्रकाशन, सूचना प्रसार, नेटवर्किंग आदि क्षेत्र का कार्य करना। 23. अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा जागरूकता साक्षरता, बच्चों के सर्वांगिण विकास मनोवैज्ञानिक तरीके से आदि क्षेत्र में कार्य करना। 24. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभाग एवं मंत्रालयों, जिला प्रशासन, व्यावसायिक घरानों, देशी व विदेशी गैर सरकारी संस्थाओं से आर्थिक सहायता व अन्य सहयोग प्राप्त कर विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करना तथा उन संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, संसाधन व सेवाएँ उपलब्ध करवाना जो मानवता की सेवा व विकास के लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं। 25. बच्चों के ठोस विकास के लिए पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से, मान्यता लेकर विद्यालय, महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबंधन करना और रख-रखाव करना। 26. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि के प्रसार एवं उन्नयन के लिए महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मेडीकल महाविद्यालय सहित नर्सिंग फार्मेसी, पशुपालन आदि के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। 27. टंकण, शीघ्रलिपी, कम्प्युटर, फाइन आर्ट, शिल्प, संगीत पेंटिंग, मॉडलिंग, नृत्य, योग शारीरिक शिक्षा और वृतिका विषयों में प्रशिक्षण संस्थानों का इंतजाम करना और प्रबंध करना। 28. हिन्दी भाषा की प्रोन्नती के लिए विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लेना। इसके अन्तर्गत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, हिन्दी में लिखे सदर्भ ग्रन्थ ज्ञान विज्ञान, भाषा विज्ञान, साहित्य, आलोचना, समाज, संस्कृति तथा अन्य किसी भाषा से हिन्दी में अनुवादित पुस्तकों का प्रकाशन एवं रख रखाव करना कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन सम्मान समारोह आदि सहित, वे सभी कार्यक्रम हाथ में, जो हिन्दी भाषा के उत्थान, उन्नयन व प्रचार-प्रसार के लिए उपयोगी हों। 29 छात्रों और समिति के अन्य सदस्यों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता, परिवहन, पुस्तकालय प्रयोगशालाएं, वाचनालय, छात्रावास, खेल मैदान तरणताल और संभव सुविधायें उपलब्ध करवाना।

Scanned by CamScanner

नाम संस्थाः सुभाष विद्या मन्दिर समिति, सेवद बड़ी

विधान नियमावली

क्रम संख्या	विधान की धारा संख्या	पंजीयन विधान का नियम	संशोधित नया नियम
			30 संस्थान के कार्य, लक्ष्यों और उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित कर्मचार, कर्मकार, विधि विशेषज्ञों, प्रबन्धकों एवं एजेन्टों को काम में लगाना नियोजित करना या किराये पर लेना और उनकी मजदूरी, वेतन, अध्ययनवृति या फीस का भुगतान करना। 31 विभिन्न प्रकार के वाल कल्याण कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ रोजगार सृजन की दृष्टि से जनता के आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करने हेतु, रोजगार प्रदान करने हेतु विविध ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना तथा इसके लिए खादी केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं वित्तीय संस्थानों, खादी ग्रामोद्योग आयोग, अन्य गैर सरकारी संस्थानों, निगमित एवं गैर निगमित वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तियों आदि से ऋण, अनुदान, चन्दा, उपहार अथवा अन्य सहायता राशि, रोकड़ व अन्य किसी रूप से प्राप्त करना। संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न इकाईयों/परियोजनाओं के नाम से संस्थान के उददेश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भूमि या भवन का क्रय अर्जन करना और उस पर विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण निर्मित केन्द्र पुस्तकालय, बाल विकास केन्द्र, पर्यावरण केन्द्र आदि सहित संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पुरा करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक भवन निर्माण करना। 33 संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूरा करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक और सुविधाजनक, सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति, भवन अथवा उसके किसी भाग को संस्थित (खड़ा), निर्माण करना, परिवर्तित या परिवर्द्धित करना, रख-रखाव करना, विक्रय करना, हटाना या तोड़ना, पटटे पर दकना, बन्धक अथवा रहन रखना, अन्तरित करना, सुधार करना विकसित करना उसका प्रबंधन या नियंत्रण करना। 34. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं द्वारा अर्जित या क्रय की गयी चल एवं अचल सम्पतियों से निहित वास्तविक एवं व्यक्तिक स्वत्त्वधिकारों को अथवा वाउत, प्रतिभूतियों व जमा राशियों में निहित हितों को, जो कि संस्थान से सरोकार रखते है, को संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ती के लिए, किसी भी केन्द्र व राज्य सरकार के विभाग, राष्ट्रिय व राज्य वित्तीय संस्थान, हुडको, रिको, बैंक, अथवा निजि क्षेत्र के निगमित अथवा गैर निगमित संस्थानों या व्यक्तियों के हक में बंधक/रहन रख कर ऋण सुविधा व आर्थिकसहायता प्राप्त करना। 35. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं व अन्य प्रकल्पों की चल व अचल सम्पतियों व अन्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं के लिए सरकारी व गैर सरकारी वित्तीय संस्थान एवं विभाग,अन्य संस्थाओं, संस्थान के सदस्यों, संस्थान से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष : जुडे अभिभावकों, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानो एवं व्यक्तियों से चन्दा, अनुदान, उपहार, ऋण अथवा अन्य सहायता राशि रोकड़ व अन्य किसी रूप प्राप्त करना।

Jobwide

Scanned by CamScanner

नाम संस्थाः सुभाष विद्या मन्दिर समिति, सेवद बड़ी

विधान नियमावली

क्रम संख्या	विधान की धारा संख्या	पंजीयन विधान का नियम	संशोधित नया नियम
			36 . संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं की अब तक की अर्जित और अब से बाद की सम्पूर्ण आय, अर्जन/ अचल सम्पतियों का स्वामित्व व एकाधिकार संस्थान का ही रहेगा। इन सम्पतियों/परिसम्पतियों को क्रय /विक्रय, अथवा ऋण अथवा आर्थिक सहायता हेतु बंधक/रहन रखने एवं ततसम्बन्धी दस्तावेजों के निस्पादन सम्बन्धी अधिकार संस्थान द्वारा कार्यकारिणी की सभा में अधिकृत व्यक्ति में ही निहित होंगे, न कि प्रत्येक सदस्य में। 37 . संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं की सम्पूर्ण आय, अर्जन, चल/अचल सम्पतियाँ केवल संस्थान के विधान में दिये गये लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रोन्नति में प्रयुक्त की जायेगी और लगायी जायेगीं और उसके/उनके किसी भी भाग का, संस्थान के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या किसी एक या एकाधिक वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांश, बोनस, लाभांश या किसी भी रीति से भुगतान नहीं किया जायेगा। संस्थान के किसी भी सदस्य का संस्थान के किसी भी चल या अचल सम्पति पर कोई व्यक्तिगत अधिकार / हक नहीं रहेगा अथवा संस्थान की सदस्यता के कारण कोई लाभ नहीं कमायेगा। 38 . सुसांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा की सुव्यवस्था कर बच्चों में राष्ट्रियता की भावना विकसित करना। 39 । बच्चों में देश प्रेमसमाज एवं मातृ भूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना एवं वसुदैवकुटुम्बकम की भावना उत्पन्न करना। 40 । बच्चों में धर्म, जाति, भाषा और साम्प्रदायिक्ता से उपर उठने की भावना उत्पन्न करना। 41 ;. छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का संचालन करना अनु.जाति/अनु.जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।

सचिव
सुभाष विद्या मंदिर समिति
सेवद बड़ी (सीकर)

अध्यक्ष
सुभाष विद्या मंदिर समिति
सेवद बड़ी (सीकर)

कोषाध्यक्ष
सुभाष विद्या मंदिर समिति
सेवद बड़ी (सीकर)

...किया जाता है कि ... संस्था की ... में अभिप्रमाणित है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं सीकर

रजिस्ट्रार संस्थाएं, सीकर